न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 13/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिलां दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री संतोष गुर्जर पुत्र श्री पुखराज गुर्जर मैसर्सः ललित पनीर उद्योग, पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप0।
: श्री पदम सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 29.6.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 10.10.2017 को दोपहर 12:30 बजे मैसर्सः— ललित पनीर उद्योग, पांचोली तहसील सिकराय दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डेयरी पर विक्रेता श्री संतोष गुर्जर पुत्र श्री पुखराज गुर्जर उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त डेयरी का विक्रेता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की निर्माण ईकाई पर एक लोहे की पेटी में करीब 30 किग्रा वजनी पनीर रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमे से एक किलो पनीर एक साफ सूखी खाली स्टील की ट्रे में नमूने की जॉच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 200 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि नमूने के लिये खरीदशुदा एक किलो पनीर को चार साफ सूखी एवं कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 20—20 बून्द फॉर्मलिन की डालकर, प्रत्येक बोतल को एयरटाइट ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलो पर चिपकाकर अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1766 गोंद से उपर से नीचे पूरे राउण्ड में चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह उपर नीचे दोनो साइडो से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.10.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.10.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.10.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2352/एक्ट/2017/2424 दिनांक 01.11.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा जुर्म स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की परिस्थितियों पर सहानुभूति पूर्वक गौर फरमाकर कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2352/एक्ट/2017/2424 दिनांक 01.11.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टैंडर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री संतोष गुर्जर पुत्र श्री पुखराज गुर्जर मैसर्सः ललित पनीर उद्योग, पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा पर 10,000/–(अक्षरे दस हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 29.06.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजबीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 1009 – 10011
दिनांकः– 29.06.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री संतोष गुर्जर पुत्र श्री पुखराज गुर्जर मैसर्सः ललित पनीर उद्योग, पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official